

6814

कार्यालय , रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प0क0) चंडीगढ़

कार्यालय आदेश भाग - II

संख्या - 429

दिनांक - 03/09 - 2020

विषय - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रक्षा लेखा विभाग स्थापना

श्री/श्रीमती तिलक राज धिमन, प० ल० प०.....लेखा सं० 8327821..

इस कार्यालय में कार्यरत श्री/श्रीमती तिलक राज धिमन, प० ल० प०.. लेखा सं० 8327821... द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना देने तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 'क' के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा उसे स्वीकृत करने पर उन्हें दिनांक 28-08-2021 (प्रार्थना)..... से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने की अनुमति दी जाती है और उसी तारीख से उन्हें पेंशन स्थापना को स्थानांतरित विद्यमान जाता है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 5 के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख को कार्य दिवस नहीं माना जाएगा।

जिन मांगों की पूरी वसूली नहीं हुई है तथा सेवा निवृत्ति संबंधित वेतन गुप द्वारा निर्धारित की जाएगी और पूर्वानुमानित पेंशन/उपदान के लिए पेंशन संबंधी कागज भेजते समय उसकी सूचना दी जाएगी। इसे कड़े अनुपालन के लिए कृपया नोट किया जाए।

इस कार्यालय आदेश भाग - II में घोषित संशोधन के विवरण की सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

Auth: PCDA(WC) Chandigarh office Note NO- AN/VIII/ Ex-X/PEN/T.R. Dhiman dated: 31-08-2020

सं० प्रशा० / VIII / Ex-x / Pension / T.R Dhiman  
दिनांक - 03/09/2020

मनजीत  
रक्षा लेखा उप नियंत्रक

प्रतिलिपि -

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी
2. रक्षा लेखा मुख्य नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद
3. रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि) मेरठ
4. यात्रा/भत्ता अनुभाग (स्थानीय)
5. व्यक्तिगत पत्राचार फाइल
6. कार्यालय आदेश फाइल
7. प्रशासन अनुभाग के सभी गुप (स्थानीय)
8. रक्षा लेखा नियंत्रक (पश्चिमी कमान) को ओप्रेटिव सोसाइटी
9. लेखा अनुभाग (स्थानीय)
10. श्री/श्रीमती तिलक राज धिमन, प० ल० प०..... लेखा सं० 8327821.....
11. दुर्ग अभियंता (दक्षिण) पटान चौक (स्थानीय)

वरि० लेखा अधिकारी (प्रशा०)